न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 328/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– दौलाराम पुत्र नानकराम 2– पदमाराम पुत्र नानकराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम खबाणियां तहसील ओसिया जिला जोधपुर		1– जितेन्द्र पुत्र चौलाराम 2– प्रमोद पुत्र चौलाराम 3– श्रीमती हवादेवी पत्नी चौलाराम सभी निवासीगण ग्राम खबाडिया तहसील ओसियां जिला जोधपुर 4– श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री चोलाराम पत्नी गोविन्दराम जाणी निवासी ग्राम पूनासर तहसील ओसियां जिला जोधपुर 5– श्रीमती कमला पुत्री चोलाराम पत्नी प्रहलादराम बेनीवाल निवासी सिली तहसील ओसियां जिला जोधपुर 6– पूनाराम पुत्र रावताराम जाट 7– मोहनराम पुत्र रावतराम जाट निवासीगण ग्राम खबाडिया तहसील ओसियां जिला जोधपुर 8––ग्राम पंचायत किंजरी तहसील ओसियां जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 18/2013 अनवान दौलाराम बनाम अणदाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चेतन राम जाखड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 7 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 22–3–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खबाणियां की सरहद मे खसरा नंबर 112 रकबा 57 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 64 रकबा 25 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 82 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 83 रकबा 1बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 84 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 60 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 61 रकबा 25 बीघा कुल 7 खसरान की 132 बीघा 18 बिस्वा भूमि मूलाराम पुत्र भोमाराम जाट के खातेदारी की थी । उक्त खातेदारी की भूमि मे से खसरा नंबर 64 की 19.04 बीघा, खसरानंबर 60 की 10.10 बीघा, खसरा नंबर 61 की 25 बीघा कुल 3 खसरान की कुल 57.14 बिस्वा भूमि का बेचान वर्तमान रेस्पो0गण एवं उनके पूर्वज को करने पर बेचान के आधार पर नामांतरकरण संख्या 77 दिनांक 23–6–77 को सरपंच ग्राम पंचायत कींजरी द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 77 के विरूद्ध अपीलांटगण ने प्रथम अपील अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की, जो रेकर्ड तलबी एवं रेस्पो0 की तामिल मे चल रही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को बिना अपीलांट को सूचित किये या उनके अधिवक्ता को नोटिस दिये बिना न्याय आपके द्वार अभियान मे रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2016 के द्वारा अपीलांट की अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज कर दिया जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बहस सुने बिना ही अपील का निस्तारण करने मे विधिक भूल की है । नियमानुसार अपील दर्ज करने के बाद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता की बहस सुने बिना अपील का मेरिट पर निर्णय पारित नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उपरोक्त तमाम नामांतरकरणो की अलग-अलग अपीले अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनमे रेकर्ड तलबी एवं रेस्पो0 की तामिल मे पत्रावलियां चल रही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण एवं उनके अधिवक्ता को नोटिस दिये ही कोर्ट की पत्रावलियो को न्याय आपके द्वार अभियान केम्प अटल सेवा केन्द्र किंजरी मे दिनांक 13-6-2016 को ले जाकर उसी दिन अपील के बिना गुणावगुण पर विचार किये केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व अभियानो मे केवल उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमे पक्षकारो की सहमति हो, परंतु वर्तमान प्रकरण मे गंभीर विवाद है जिसका निस्तारण लोक अदालत केम्प मे बिना पक्षकारो की सुनवाई के नही किया जाना था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान मामले मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 जो उतराधिकार के आधार पर स्वीकृत किया था तो खातेदार भोमाराम के देहांत के समय उसके मूलाराम, नानकराम एवं विरमाराम नामक तीन लडके मौजुद थे तो एक लडके के नाम म्युटेशन भरा जाकर स्वीकृत किया जो प्रथमदृष्टिया अवैद्य एवं शून्य होने से उसके पश्चातवर्ती सभी म्युटेशन भी स्वतः ही शून्य समझे जायेंगे तथा ऐसे आदेशो के विरूद्ध मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खातेदार मूलाराम को उपरोक्त

अपीलाधीन भूमि मे से अपने 1/3 हिस्से का ही बेचान करने का ही अधिकार था, उससे अधिक का किया गया बेचान प्रारंभ से ही शुन्य था इसलिए बेचान के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 77 निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 77 को निरस्त कर मृतक खातेदार भोमाराम के सभी विधिक उताराधिकारियो के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि गाम पंचायत किंजरी द्वारा नामांतरकरण संख्या 31 दिनांक 29–8–65 को स्वीकार किया था । उक्त नामांतरकरण स्वीकृत होने के बाद अर्जुनराम वगैरा ने मूलाराम के विरूद्ध सहायक कलेक्टर फलोदी के न्यायालय मे बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमे वर्तमान अपीलांट पदमाराम पक्षकार था तथा उक्त वाद के निर्णय की पालना मे म्युटेशन संख्या 39 स्वीकृत हुआ था अथार्त उक्त अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी अपीलांटगण को प्रांरभ से ही थी । उक्त म्युटेशन स्वीकृत होने के बाद अपीलाधीन म्युटेशन जो कि बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत कथन करते हुए 1977 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन के विरूद्ध वर्ष 2013 मे लगभग 37 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 77 स्वीकृति दिनांक 23–6–77 तथा अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 77 जो कि वर्ष 1977 मे बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था उसके विरूद्ध लगभग 37 वर्ष के विलब से अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन अपील वर्ष 2013 मे स्व0 खातेदार भोमाराम के अन्य पुत्र नानकराम के पुत्रो ने की थी जिसमे विलंब का कोई ठोस कारण प्रकट नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है ।

प्रस्तुत अपील मे अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि पत्रावली को केम्प कोर्ट मे ले जाने बाबत कोई सूचना रेकर्ड पर नही है, फिर भी पत्रावली मे पक्षकारो को सुने बिना ही मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नही है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधीनस्थ न्यायालय के

समक्ष लगभग 37 वर्षो के विलंब से अपील पेश होने से तथा विलंब को क्षमा करने बाबत कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने इतनी लंबी अवधि तक अपीलांट द्वारा कोई चाराजोही नही करना न्याय की दृष्टि से क्षम्य योग्य नही होना मानकर नियत तिथी पर पत्रावली को लोक अदालत/ केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र किंजरी मे ले जाकर अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है, जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

अपील के गुणावगुण पर भी देखा जाये तो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 77 जो कि रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर स्वीकृत किया गया है इसलिए जब तक रेस्पो0 के पक्ष मे निष्पादित बेचान के दस्तावेजात को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है, तब तक इतने लंबे अंतराल के बाद राजस्व रेकर्ड मे दर्ज इन्द्राजात को म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही मे किसी प्रकार का इन्द्राज परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत नही है।

बहस के दौरान रेस्पो0 अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अपीलांट पदमाराम ने खातेदारी घोषणा का एक नियमित वाद भी उपखण्ड अधिकारी ओसियां के न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जिसका अनवान पदमाराम बनाम हनुमानराम वगैरा है, जो विचाराधीन है, तो अपीलांट के हक अधिकारो का निर्धारण तो उक्त विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय से ही होना है । म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2016 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर